न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/06/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/21

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री बलविन्दरसिंह पुत्र महलासिंह, ग्राम व पोस्ट–चनन खेडा, तहसील–अबोहर, जिला–फजिल्का (पंजाब)–152117		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 20.1.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 11.11.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर Demand register of Loans में दर्ज Order No. 26-10/61के सत्यापित रिकॉर्ड की प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी को उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण पत्र दिनांक: 28.12.2021 के माध्यम से संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो पत्र सं. 30 दिनांक: 04.01.22 के माध्यम से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 219 दिनांक: 25.01.22 के माध्यम से अपील का जवाब प्रस्तुत कर जवाब की प्रति संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर एवं अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर प्रश्नगत वांछित सूचना लगभग 70–71 वर्ष पुरानी होने व संधारित रिकॉर्ड पुराना, जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ञ) के प्रावधानों के तहत रिकॉर्ड का अवलोकन करने हेतु पत्र सं. 2304 दिनांक: 30.12.21 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है, साथ ही अपील में भी इस आशय का जवाब–पत्र सं. 219–21 दिनांक: 25.01.22 प्रस्तुत किया गया है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को भी प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 01.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर